विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक कुमार, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
30–(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि अमित सिंह चौहान, विधायक, बीकापुर, फैजाबाद का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 जो मुख्य मंत्री को व दिनांक 04 अप्रैल, 2022 जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित था, जनपद–अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पर ग्राम–गोपालपुर के पास नहर की दाहिनी पटरी पर खडंजा निर्माण हेतु शासन द्वारा लगभग 2 करोड़ रूपये का आवंटन सिंचाई खण्ड अयोध्या को किया गया था, जिसका कार्य मानक के अनुसार न करके, धन का दुरूपयोग करते हुए भारी अनियमितता किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है?	मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक जी का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 प्राप्त हुआ ह, इसी संदर्भ में जिलाधिकारी, अयोध्या को मा0 विधायक का पत्र दिनांक 03.04.2022 प्राप्त हुआ है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या उक्त प्रकरण की जॉच में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व है?	उक्त प्रकरण की जॉच में सामान्य कमियां पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार को उक्त कमियों के निराकरण हेतु नोटिस दिया गया।
(ग) जॉच में क्या कार्य मानक विहीन एवं भारी अनियमितता पायी गयी थी?	जी नहीं। जॉच में कुछ स्थानों पर वर्कमैनशिप व अन्य सामान्य कमियां पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त कमियों का निराकरण करा के वर्तमान में कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा दिया गया है।
(घ) यदि हा, तो जॉच कब पूर्ण हुई तथा जॉच में कौन–कौन अनियमितता प्रकाश में आयी एवं उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है?	मा0 विधायक के पत्र द्वारा संज्ञान में आयी कमियों पर जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 05.04.2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। प्रकरण की जॉच दिनांक 30.04.2022 को मा0 विधायक, बीकापुर के प्रतिनिधि श्री अमित सिंह उर्फ अंशू सिंह सहित अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गयी। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में 9.750 किमी0 लम्बाई में 02 स्थानों/चैनेजों पर निम्नलिखित सामान्य कमियां इंगित की गयीः– 1– नहर चैनेज किमी0 50.370 पर खड़न्जा लगाने में

	ईटें प्रथम श्रेणी व कुछ खन्जड़ ईटें पायी गयी। कुछ स्थलों पर वर्कमैनशिप खराब पाये जाने पर सुधार हेतु निर्देशित किया गया। 2– नहर चैनेज 45.200 किमी0 पर टूटी पायी गयी कुछ ईटें, जिन्हें स्थानीय लोगा द्वारा रोलर चलने के कारण टूटने की पुष्टि की गयी। समिति द्वारा उसे बदलवाने हेतु निर्देशित किया गया। जॉच समिति द्वारा इंगित उक्त कमियों को ठेकेदारों से निराकरण कराकर कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा दिया गया है।
(ड.) क्या जॉच की रिपोर्ट सदन की मज पर रखेंगे?	जी हॉ।
(च) क्या जॉच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कार्य मानक के अनुरूप कराया जायेगा?	कार्य प्रगति में था। इस मध्य जॉच समिति द्वारा इंगित सामान्य कमियों का निराकरण कराकर कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा दिया गया है, जिसमें कोई भी कार्मिक दोषी नहीं है।
(छ) यदि हॉ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(ज) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्र देव सिंह
मंत्री,
जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।